



इस्लाम ने फ़िज़ूलखर्ची को हाराम किया है और जीवन स्तर को नियमित करने के लिए व्यक्तियों का स्तर बढ़ाया है, इस तरह। धनवान होने की इस्लामी अवधारणा केवल आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के पास इतना हो कि उससे वह खाए, पहने, घर बनाए, शादी करे, हज़ करे और दान भी दे।

"तथा वे लोग कि जब खर्च करते हैं, तो न फ़िज़ूल-खर्ची करते हैं और न खर्च करने में तंगी करते हैं, और (उनका खर्च) इसके बीच में मध्यम होता है।" [189] [सूरा अल-फ़ुरक़ान : 67]

इस्लाम की नज़र में गरीब वह है जो अपने शहर के जीवन स्तर के अनुसार अपनी ज़रूरतें पूरी न कर सके। अब यह जीवन स्तर जिसका जितना फैला हुआ होगा, गरीबी का वास्तविक अर्थ भी उतना बड़ा होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी शहर या देश में आम तौर पर हर परिवार के पास एक अलग घर है, अब अगर किसी विशेष परिवार के पास अलग घर नहीं है, तो उसे गरीबी का एक प्रकार माना जाएगा। इस तरह, संतुलन अर्थात् हर व्यक्ति (मुस्लिम हो या ज़िम्मी) के अमीर होने का मापदंड भी उस समय के समाज की संभावनाओं के अनुसार तय किया जाएगा।

इस्लाम समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह सामाजिक गारंटी के द्वारा होता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और उसकी देख-रेख उसपर अनिवार्य है। इस प्रकार मुसलमानों पर वाजिब है कि उनके बीच कोई ज़रूरतमंद न रहे।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :

"एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इसलिए न वो उसपर जुल्म करे और न ही उसे जुल्म के हवाले करे। जो आदमी अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मुराद पूरी करने में लगा रहता है, और जो आदमी किसी मुसलमान की मुसीबत दूर करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुसीबत दूर करेगा, और जो आदमी मुसलमान का दोष छुपाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके दोषों को छुपाएगा।" [190] [सहीह बुख़ारी]

📞 0203 2026 04:03:46

🌐 <https://www.alnajat.org/78/>

🌐 <https://www.alnajat.org/78/>

📞 0203 2026 04:03:46